न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 149 / 2025

1 निर्मलसिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबूआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रार्थी

बनाम्

1. अजयसिंह पुत्र बलदेवसिंह
2. अमृतपाल सिंह पुत्र सुखदेवसिंह
3. टेकसिंह } पि0 बग्गासिंह
4. सुरजीतसिंह
5. बलदेवसिंह } पि0 आत्मासिंह
6. सुखदेवसिंह

अकवाम कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।

7 मनप्रीतसिंह पुत्र सुरजीतसिंह
8 जीवो पुत्री पालो जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :– श्री अब्दुलसतार जोईया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुखदेवसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 26/11/25

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है चक 1 एस.बी.एन. पटवार हल्का साबुआना के प.न. 222 / 195 मु.न. 15 के कि.न. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17 18 19 की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड 3,4,7,8,13,14,16,17 में दर्ज कागजात माल है। डिजिटल जमाबंदी चक 1 एस.बी.एन. जमाबंदी खाता संख्या 77 / 74 व 78 / 73 संलग्न वाद पत्र है। प्रार्थी की प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि साबुआना गांव की आबादी के उत्तर की ओर स्थित है जो गांव की आबादी से मात्र दो बीघा दूरी पर स्थित है। साबुआना गांव की आबादी मे स्थित रास्ता जो चक 1 एस.बी.एन. के प.न. 222 / 196 मु.न. 29 के कि.न. 3 की कृषि भूमि तक जाता है अर्थात प्रार्थी की कृषि भूमि से दक्षिण की ओर मात्र दो बीघा दूरी पर बंद हो जाता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की नितात आवश्यकता है। उपरोक्त दो बीघा रास्ता स्वीकृत किये जाने पर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आसानी से आवागमन कर सकता है। प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए रास्ता नही होने के कारण तथा प्रार्थी को रास्ता की नितांत आवश्यकता होने के कारण प्रार्थी चक 1 एस. बी.एन. पटवार हल्का साबुआना के प.न. 222 / 196 मु.न. 29 के कि.न. 3 के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर एवं प. न. 222 / 195 मु.न. 15 के कि.न. 23 / 1 / 01010 है कृषि भूमि के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर प्रत्येक किल्ला नंम्बरान में 22 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि प्रत्येक में 0.03375 है0 दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। रास्ता में आई भूमि के बदले मे प्रार्थी चिपत कृषि भूमि जिला स्तरीय कमेटी की दुगुनी राशि के अनुसार कीमत देने के लिए भी तैयार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

है। डिजिटल जमाबंदी चक 1 एस.बी.एन. जमाबंदी खाता संख्या 13/12 व 67/ सम्वत 2075 – 2078 संलग्न वाद पत्र है। दरख्वास्त बाबत रास्ता स्वीकृति की है जो दो रुपये की कोर्ट फीस पर तहरीर है तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एस.बी.एन. पटवार हल्का साबुआना के प.न. 222/196 मु.न. 29 के कि.न. 3 के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर एवं प. न. 222/195 मु.न. 15 के कि.न. 23/1/0.1010 है० कृषि भूमि के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर प्रत्येक किल्ला नम्बरान में 22 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि प्रत्येक में 0.03373 है० दक्षिण से उत्तर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे। जनाब की मेहरबानी होगी।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रार्थी व अप्रार्थी स0 8 जीवो ने अधिवक्तागण की उपस्थिति में न्यायालय हाजा में हाजिर आकर राजीनामा पेश किया कि उक्त अनवान सदर के प्रार्थना पत्र में हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की चक नं० 1 एस. बी. एन में कृषि भूमि स्थित है। हम पक्षकारान एक ही गाँव के रहने वाले है। चक 1 एस.बी.एन. पटवार हल्का साबुआना के प.न. 222/195 मु.न. 15 के कि.न. 3,4,7,8,13,14, 16, 17 18 19 की आराजी प्रथम पक्ष के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रथम पक्ष की उपरोक्त कृषि भूमि साबुआना गांव की आबादी के उत्तर की ओर स्थित है जो गांव की आबादी से मात्र दो बीघा दूरी पर स्थित है। साबुआना गांव की आबादी में स्थित रास्ता जो चक 1 एस.बी.एन. के प.न. 222/196 मु.न. 29 के कि.न. 3 की कृषि भूमि तक जाता है अर्थात प्रथम पक्ष की कृषि भूमि से दक्षिण की ओर मात्र दो बीघा दूरी पर बंद हो जाता है। प्रथम पक्ष की कृषि भूमि में जाने के लिए गाँव की आबादी में से रास्ते के बीच में द्वितीय पक्ष जीवों की चकनं0 1 एसबीएन के प०नं० 222/195 मु0 15 किलानं0 23/1/0.1010 कृषि भूमि स्थित है। द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष के साथ राजीनामा हो गया है मुताबिक राजीनामा उक्त किला नं0 23 की आराजी के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर 162 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.025 है० दक्षिण से उत्तर रास्ता के लिए प्रथम पक्ष निर्मल सिंह को दे दी है तथा रास्ता की भूमि के प्रतिकर के रूप में द्वितीय पक्ष ने नगद राशि प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है इसलिए उपरोक्त राजीनामा के मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाकर कागजात माल में दर्ज किया जाता है तो मुझ द्वितीय पक्ष को कोई उन व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। मैं द्वितीय पक्ष राजीनामा से पूर्णतया सहमत हूँ। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तो मुझ द्वितीय पक्ष को कोई उज्र व एतराज नही है। अप्रार्थीगण स0 1 ता 7 एंव प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित आकर राजीनामा पेश कि हम

क्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की चक नं० 1 एस.बी.एन में कृषि भूमि स्थित है। हम पक्षकारान एक ही गाँव के रहने वाले है। चक 1 एस.बी.एन. पटवार हल्का साबुआना के प.न. 222/195 मु.न. 15 के कि.न. 3,4,7,8,13,14,16, 17 18 19 की आराजी प्रथम पक्ष के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रथम पक्ष की उपरोक्त कृषि भूमि साबुआना गांव की आबादी के उत्तर की ओर स्थित है जो गांव की आबादी से मात्र दो बीघा दूरी पर स्थित है। साबुआना गांव की आबादी मे स्थित रास्ता जो चक 1 एस.बी.एन. के प.न. 222/196 मु.न. 29 के कि.न. 3 की कृषि भूमि तक जाता है अर्थात प्रथम पक्ष की कृषि भूमि से दक्षिण की ओर मात्र दो बीघा दूरी पर बंद हो जाता है। प्रथम पक्ष की कृषि भूमि में जाने के लिए गाँव की आबादी मे से रास्ते के बीच में द्वितीय पक्ष अजयसिह वगैरह के नाम से चक 1 एसबीएन प. न. 222/196 मु.न. 29 के कि.नं. 3 की आराजी दर्ज है। द्वितीय पक्ष ने अपनी सहमति व रजामन्दी से उक्त किला नं0 3 की आराजी के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर 20 फुट चौड़ाई का रास्ता प्रथम पक्ष को दे दिया है रास्ता की भूमि के प्रतिकर के रूप में द्वितीय पक्ष ने नगद राशि प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है इसलिए उपरोक्त राजीनामा के मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाकर कागजात माल में दर्ज किया जाता है तो हम द्वितीय पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। हम द्वितीय पक्ष राजीनामा से पूर्णतया सहमत है। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तो हम द्वितीय पक्ष को कोई उज्र व एतराज नही है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी, रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण राजीनामा से अपनी भूमि आवगमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है न्यायहित में प्रार्थी पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए स्वीकार किया जाता है चक 1 एस.बी.एन. पटवार हल्का साबुआना के प.न. 222/196 मु.न. 29 के कि.न. 3 के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर एवं प. न. 222/195 मु. न. 15 के कि.न. 23/1/0.1010 है० कृषि भूमि के पश्चिमी हिस्सा में 20 फुट कृषि भूमि छोड़कर प्रत्येक किल्ला नम्बरान में 22 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि प्रत्येक में 0.03373 है० दक्षिण से उतर. रास्ता स्वीकृत किया जाता है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण ... R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़